



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235391
CG-DL-E-27042022-235391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944

No. 305]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 95 की उपधारा (3) और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती और स्थानन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती स्थानन) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती और स्थानन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के, उपनियम (3) में “अनुज्ञप्ति” शब्द के पश्चात “पंद्रह दिन के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 19 के उपनियम (3) में, “यथा संभव युक्तियुक्त अवधि के भीतर” शब्दों के स्थान पर “साठ दिन की अवधि के भीतर” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस आर – 20020/3/2020-एम एल (सी. सं. 342969)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 फरवरी, 2016 में संख्यांक सा.का.नि. 169 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2022

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 95 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016, namely: -

1. Short title and commencement.-

1) These rules may be called the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Amendment Rules, 2022.

2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (3), after the word "licence", the words "within fifteen days" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (3), for the words "as far as possible within reasonable time", the words "within a period of sixty days" shall be substituted.

[F. No. SR-20020/3/2020-ML (C. No. 342969)]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated the 16th February, 2016 vide number G.S.R. 169(E), dated the 15th February, 2016.